(ख) कब तक राजस्थान के सभी जिलों में टी.वी. ट्रांसमीटर लग जायेंगे और अभी तक कितने जिलों में टी.वी. ट्रांसमीटर लग चुके हैं तथा इस संबंध में सवाई माधोपुर जिले की क्या सिथति है;

(ग) राजस्थान में दूरदर्शन नेटवर्क को अधिक प्रचलित एवं विकसित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकें; और

(घ) सातवी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये कितना पैसा खर्च करने का प्रावधान है तथा अब तक इस पर कितना पैसा खर्च हुआ ?

**संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)**: (क) कुछ आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण दूरदर्शन केन्द्र जयपुर से अभी तक प्रादेशिक समाचारों को टेलीकास्ट करने की शुरूआत करना संभव नहीं हो पाया है। इन सुविधाओं की शीघ्र व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। जहां तक राज्य के सभी ट्रांसमीटर द्वारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों सहित प्रारम्भिक (प्रादेशिक) सेवा रिले करने का संबंध है, इसे इनसेट-2 के समय रचना के दौरान अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता पर शुरु करने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग)इस समय राज्य के 18 जिलों में स्थापित 22 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यरत हैं। इसके अलावा, चार जिलों क भागों में पड़ोस के ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन कवरेज प्राप्त होती है। दूरदर्शन की सातवीं योजना के अंग के रूप में, चार विद्यमान अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्चशक्ति ट्रांसमीटरों से बदलना और 4 नए अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना (सवाई माधोपुर में एक ट्रांसमीटर सहित) तथा एक ट्रांसपोजर लगाने का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है इन परियोजनाओं का पूरा होना उपकरणों की उपलब्धता, अन्य आधारभूत सुविधाएं और निधियों का वार्षिक आबंटन पर निर्भर करता है।

इन स्कीमों का कार्यान्वयन हो जान के बाद, राजस्थान के सभी जिलों के दूरदर्शन सेवा से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कवर हो जाने की आशा है।

(घ) दूरदर्शन की सातवीं योजना के अंतर्गत, राजस्थान में दूरदर्शन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 25.32 करोड़ रुपये की अनुमोदित पूंजी परिव्यय की तुलना में दिसम्बर, 1988 तक 12.07 करोड़ रुपये व्यय हो गए है।

## कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यवाही

1243. **डा० अबरार अहमद खान**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और क्या किसानों को अच्छी किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के बारे में कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान में इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और किसानों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं; और

(ग) गत वर्ष राजस्थान में सूखे से प्रभावित होने वाले किसानों को सरकार ने क्या सहायता दी है ताकि वे इस वर्ष की अच्छी वर्षा के फलस्वरूप अच्छी फसल प्राप्त कर सकें, और उर्वरक तथा बीज खरीदने के लिए दी गई वित्तीय सहायता तथा उर्वरकों और बीजों के रूप में दी गई सहायता के बारे में ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)**

(क) फसल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में पहले ही कई कार्यक्रम, जैसे विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता, वर्षा संचित कृषि हेतु राष्ट्रीय जलविभाजक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम, तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम आदि, क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

क्वालिटी बीजों का उत्पादन एवं उनका सुवितरण करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। राज्य सरकारें अपनी राज्य बीज निगम, कृषि विभागों, कृषि-उद्योग निगमों आदि के जरिए उत्पादन की व्यवस्था करती हैं तथा निजी बीज सप्लायरों के जरिए बीजों की सप्लाई को भी सुनिश्चित करती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ाते हैं।

केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों की कीमतों तथा क्वालिटी एवं किसानों के लिए इसकी बिक्री को नियमित करने के लिए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 जारी किया है। अनिवार्य जिन्स अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न राज्यों को उर्वरकों की आपूर्ति प्रत्येक मौसम के लिए आंचलिक सम्मेलनों में किए जाने वाले मूल्यांकन के जरिए विनियमित की जाती है। इस आदेश के प्रवर्त्तन का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों ने उर्वरकों से समय-समय पर रासायनिक विश्लेषण करने के प्रयोजन से गुणवत्ता का नियन्त्रण करने वाली कई प्रयोगशालाओं की स्थापना की है, ताकि किसानों को सही क्वालिटी के उर्वरकों की सप्लाई को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) भावी खरीफ, 1989 के लिए राजस्थान में उर्वरकों तथा बीजों की आवश्यकताओं का आकलन 17.2.1989 को हुए आंचलिक सम्मेलन में किया गया है तथा उर्वरकों एवं बीजों की सप्लाई का कार्य उर्वरक एककों और बीजों का उत्पादन करने वाली एजेन्सियों को सौंप दिया गया है। राजस्थान में इस मंत्रालय की कई विकास सम्बन्धी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) राजस्थान में कृषि आदान राजसहायता हेतु 9.14 करोड़ रुपए की अधिकतम व्यय सीमा, 1987 के सूखे के लिए सूखा-राहत हेतु दी गई सहायता के एक भाग के रूप में स्वीकृत की गई है, ताकि सूखे से प्रभावित छोटे और सीमान्त किसान अगली फसल लेने में समर्थ हो सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को खरीफ और रबी मौसमों के लिए आदानों को खरीदने एवं उनके वितरण करने के लिए अल्पावधिक ऋण दिया गया है।

**Cut in the Allotment of Monthly Quota of Refined Rapeseed Oil to West Bengal**

1244. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether the monthly allotment of refined rapeseed oil to the Government of West Bengal has been drastically cut as also crude oil to refineries of the Essential Commodities Supply Corporation;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether these cuts are likely to be restored soon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI D. L. BAITHA): (a) and (b) The monthly allocation of imported edible oils to all States / UTs including West Bengal has been considerably reduced in view of the easy availability and subdued prices of indigenous edible oils. The allocation of imported edible oils under the Public Distribution System is meant to supplement the availability of indigenous edible oils in the open market and not to meet the entire demand of the State / UTs. As the volume of import operations have been substantially reduced and considerable rapeseed oil is being received in refined form as aid, it is not possible to get oil refined by the West Bengal Essential Commodities Supplies Corporation at the same levels as was being done earlier. However, it is the policy of the Government to accord priority to the Central / State Undertakings in the matter of refining of crude oil and the allocation are being made accordingly.

(c) In the present situation of increased availablility 'of indigenous oils and the consequent reduction in imports, it is not possible either to increase the monthly allocation of imported edible oils